BRITISH COLUMBIA

हयूमैन रीसोरस
की मनिसटरी

फरिवारिक
रकशा का प्रोगराम

परवरिश के हक सौंपने

एस फारम पर जो सूचना माँगी गइ है वह रोजगार तथा सहायता अैकटतथा अपाहजों के लिये रोजगार तथा सहायता अैकट के आधीन और उसी का नियन्त्रण करने के लिये है।आप की यह सारी सूचना जान कर किसी के साथ बाँटना आजादी अथवा जानकारी की राखी के मुताबिक ही मुमकिन हैरुइसके बारे मैं कोइ भी प्रशन आप अपने हलके के रोजगार तथा सहायता सैंटर से पूछ सकते हैं.

फाइल नम्बर
जी अे

जगार तथाँ सहायता का अैकट अथवा अपाहजों के लिये रोजगार तथा सहायता के अैकट के मुताबिक,

निसटर के दवारा दी गइी मदद को घ्यान मे रखते हुए ,मैं_____
(आपना पूरा नाम)

हुमन रिसोरस के मनिसटर (मनिसटर) कौ सौंपता हूं:-

भी खरचा वसूल करने के अधिकार मेरे पास हैं जो कि कानून के मुताबिक हैं,यह सभी अधिकार:
क) बरिटिश कोलम्बीआ के कानून के मुताबिक खरचा वसूल करने के लिये आवेदन-पत्र बनाने का;
ख) खरचे का समझोता करने का;
) खरचे के समझोते या हुकम मे परिवरतन या उस का समरथन का आवेदन-पत्र बनाने का
) किशतैं वसूल करनी
1) खरचे के समझोते या हुकम के तहत
2) तलाक के कानून या किसी दूसरी परकार से तह की गइ खरचे की रकम
) खरचे के हुकम या समझोते को लागू करवाने की :
) बरिटिश कोलम्बीआ की अदालत में खरचे के समझोते को दूसरे प्रांत में लागू करने का
) प्राँत से दुर चले जाने वाले के लिये बरिटिश कोलम्बीआ की अदालत के खरचे के हुकम के लिये दरखास्त देनी
) परिवारिक खरचे को लागू करने के कानून के अधीन खरचे के हुकम के लिये या उसे वापस लेने के लिये आवेदन-पत्र देना।
) पैसे देने वाले से पिछले सारे पैसे वसूल करने की किशतों का इन्तजाम करना।

जरूरी:-अपने हक सौपने से पहिले पीछे वाले पन्ने पर शरतें देख कर हसताकशर करने से पहिले अपने नाम का पहिला अकशर लिखिये।

हक सौपने वाले के नाम का पहिला अकशर

ने पिछले पन्ने पर लिखी "हक सौंपने" की शरते पड़ ली हैं_____

ह नियुक्ति तब ख्तम होती है जब:

व मेरे परिवार को और सहयता नही दी जाती तथा सरकार से लेने वाली पिछली सारी रकम वसूल हो जाती है,तथा मनिसटरी के पास रा आखरी पता है उस पर **नियुक्ति खतम होने का लिखती पत्र** नहीं आ जाता।

युक्ति करने वाले के हसताक्षर_____ तारीख_____
yyyy/mmm/dd

ाह के हसताक्षर_____

यर का सभ कुछ होते हुए_____(ग्राहक का पूरा नाम)

चे के समझौते या हुकम के अनुसार किशते सीध या यदि इसका हुकम खरचा जबरदसती वसूल करने वाले प्रोगरामके साथ(अैफ अैम इ पी) के साथ है तो फ अैम इ पी के दवारा,जब तक मनिसटर अैलान नही करता ।

अे डबलयू/अैफ अैम इ पी का पूरा नाम_____ तारीख_____
अे डबलयू /अैफ अैम इ पी के हकताकशर_____ रोजगार तथा सहायता सैंटर_____

Sample

सकता है जिस की मेरे खरचे के हुकम की किशतों को वसुल करने के लिये प्रमाण-पत्र देने या उुनका घ्णान रखने

- मेरी तरफ से मनिसटर को यह अधिकार है कि वह खरचा लागू करने वाले मुखिआ को मेरी कोइ भी जानकारी दे

के लिये आवशयक हो।

- मेरी तरफ से खरचा लागू करने वाले मुखिआ को यह अधिकार है कोइ भी सूची मनिसटर को दे सकता है जिससे

मैं सहयता के,किशत,तथा उुसका घ्यान रखने तथा खरचे के हुकम को लागू करवाने के योग्य बन सकूं।

- मेरी तरफ से मनिसटर को उसके जिम्मे लगाये गये अधिकार का अभिआस करने के लिये अदालत से जरूरी

कागजात लेने का अधिकार है।

- मनिसटर तथा खरचा लागू करने वाले मुखिआ का खरचे का हुकम या समझोता लेने या उुसमे कोइ तबदीली करने

के लिये मेरा पूरा सहयोग होगा। जिसमे यह सब शामिल है:-

- पैसा देने वाले का नाम,पता,काम करने का असथान तथा आमदनी के बारे मे पूरी जानकारी देनी
- सभी बचो के नाम,आयू तथा रहिने के प्रबन्ध के बारे मे जानकारी देनी।
- मनिसटर अथवा खरचा लागू करने वाले विभाग दवारा सारी नियुकती या अदालत की तारीख मैं जाना।
- अदालत [illegible] फाइल नम्बर [illegible] कोइ भी [illegible] के बारे मे जानकारी देनी

- जब तक मनिसटर मेरी तरफ [illegible] देख रेख कर [illegible] है [illegible] मनि[illegible]टर की लिख[illegible]ती [illegible]नुम[illegible]ा क बिनाँ खरचे के

किसी समझोते या कारवाही करने से असमरथ हूं।यदि मैने अनुमत[illegible] के बगैर कोइ भी अैसा कदम उठाया तो

मेरी सहायता मिलने की योग्यता पर असर पड़ सकता है।

- जब सरकारी वकील मेरे केस की देख भाल कर रहा है,मैं सहमत हूं कि वोह केवल सरकार के लिये काम

करता है मेरे लिये नहीं।

- मुझे मालूम है कि केवल मनिसटर ही सरकार को देने वाले करजै को माफ या कम कर सकता है मेरे साथ

मशवरा किये बिनाँ खरचे कै हुकम या समझोते के मुताबिक मुझे मिलने वाले करज को माफ या कम नही कर

सकता।

- इस समझोते का कुछ हिसा मुझे सहायता बन्द होने के बाद भी जारी रहेगा यदि सरकार ने पूरे पैसे वसूल

नही किये।यदि अैसा हो तो केवल मनिसटर को ही अधिकार है:-

- परिवारिक खरचे के कानून के मुताबिक करचे के हुकम को वापिस लेना;
- सरकार ने जो खरचे के पिछली रकम अभी तक वसूल नही की उस की किशत लेनी
- सरकार से ना वसूल की गइ रकम को कम करने या माफ करवाने के प्रयाम-पत्र के बचाव

का यतन करना

- सरकार की ओर से वसूल ना किये जाने खरचे को प्रापत करने के लिये देनदार से वसूल करने का इन्तजाम

करना।

- सरकार दवारा वसूल ना की गइ रकम को पाने के लिये खरचे का हुकम लागू करना।

Sample

सोफने वाले के नाम का पहिला अकशर